

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, / विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कानपुर देहात।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या-417/2021

सरला देवी बनाम जिन्ना उर्फ जितेन्द्र आदि

दिनांक 22.07.2020

पत्रावली पेश हुयी। बार बार पुकार करायी गयी। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादिनी के अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता पर बल देने हेतु अधिवक्ता अनुपस्थित है। ऐसी स्थिति में वादिनी मुकदमा का प्रार्थनापत्र बल न दिये जाने एवं वादिनी की अनुपस्थित के कारण निरस्त किया जाता है।

आदेश

वादिनी मुकदमा का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा -156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता वादिनी की अनुस्थित में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अमित मालवीय)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर-2/

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, रमाबाई नगर/कानपुर देहात।